दित्ती विधान समा कार्य सूची

शुक्रवार, 10 जनवरी, 1997/पोष 20, 1918 १शक १

अपराहन 2.00 बजे

प्रश्न

- पृथक सूची में दिये गये प्रश्न पूछे जायेंगे और उनके उत्तर दिये जायेंगे ।
 विशेष उत्तेस
- 2 . सदस्यों दारा पृथक पूची में दिये गये मामलों का उल्लेख किया जायेगा ।

गैर सरकारी सदस्यों के कार्य गैर सरकारी सदस्यों के विषेयक का पुरःस्थापन

शी जग प्रवेश चन्द्र पंजाबी को दूसरी राजमामा का दर्जा देने से संबंधित विधेयक, 1997 को पुरः स्थापित करने की अनुमति मागिंगे।
विधेयक भी पुरः स्थापित करेंगे।

गैर सरकारी सदस्यों के संकल्प

- 4. 1. डा.प.के. वालिया दारा 22.3.96 को प्रस्तुत निम्नलिकित संकल्प पर आगे चर्चा होगी :"यह सदन संकल्प करता है कि पूर्वी दिल्ली को, जिसकी आबादी दिल्ली की कुल आबादी का 1/3 है, कुल जल आपूर्ति का 1/3 भाग दिया जाये।"
 - थ्रीमती तानदार वानर :
 थ्री राज कुनार चौहान :
 थ्री मतीन अहमद :
 निम्नांतिषित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

"यह सदन संकल्प करता है कि संसदीय परम्पराओं के अनुसार और दिल्ली के लोगों की समस्याएं, जो दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं, को निवर्धित सदस्यों दारा उठाने के लिये सरकार प्रतिवर्ष विधान सभा के कम से कम तीन सत्र बुलाये और बैठकों की कुल संख्या 60 से कम न हो ।"

उ. चौ. शीश पाल :

निम्नलिबित संकल्प प्रस्तुत करेगे :-

"यह सदन केन्द्र सरकार से सिफारिश करता है कि माननीय राष्ट्रपति महोदय दारा स्वीकृति दिये गये दिल्ली किराया कानून को राजधानी में अविलम्ब लागू किया जाये ।"

4 · श्री सूरज प्रसाद पालीवाल निम्निलिसित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

"यह सदन सिफारिश करता है कि अब से की जाने वाली अधिगृहीत जमीन के मुआवजों की राशि कम से कम 50 लाख स्पर्ध प्रति एकड़ स्वी जाये ।"

5 · श्री नन्द किशोर गर्ग निम्नितितित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

"दहेज की कुप्रवृत्ति को रोकने के लिये दिल्ली में विवाहों का पंजीकरण आवश्यक कर दिया जाये ।"

अल्पकालिक चर्चा

6 श्री दीप चन्द बंधु :
श्री जय किशन :

दिल्ली विकास प्राधिकरण एवं अन्य स्थानीय निकायों दारा दिल्ली में भारी मात्रा में शुग्गी-झोपड़ियों एवं मकानों को गिराये जाने पर चर्चा प्रारम्भ करेंगे।

> पी · एन · गुप्ता सीचव

ईटिप्पणी : दिनांक 9·1·1997 को सदन में हुए निर्णय के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली की विधान समा के प्रक्रिया एवं कार्थ-संचालन नियमों के नियम 23 के अनुसार अल्पकालिक चर्चा अपराह्न 5·00 बजे प्रारम्म होगी । ≸

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY LIST OF BUSINESS

Friday, January 10, 1997/Pausa 20, 1918 (Saka)

2.00 P.M.

QUESTIONS 1.

Questions as entered in separate list to be asked and answers given.

SPECIAL MENTION 2.

Matters to be raised by Members as entered in separate list.

PRIVATE MEMBERS! BUSINESS

INTRODUCTION OF PRIVATE MEMBER'S BILL 3.

Shri Jag Parvesh Chandra to move for leave to introduce "The Delhi Adoption of Punjabi as the Second Official Language Bill, 1995.

ALSO to introduce the Bill.

PRIVATE MEMBERS! RESOLUTIONS 4.

Further discussion on the following resolution moved by 1. Dr. A.K. Walia on 22.3.96 :-

"This House resolves that East Delhi having 1/3rd population of Delhi be given 1/3rd of Delhi's total water supply".

to move the following Smt. Tajda: Babar 2. Shri Raj Kumar Chauhan : resolution: Shri Mat: in Ahmed

> "This House resolves that keeping in view the established parliamentary practice and to enable the elected representatives to highlight the problems of Delhites, which are mounting with each passing day, the Government must convene a minimum of three session in a year and the total number of yearly sittings should in no case be less than

Shri Shish Pal to move the following resolution:-3.

"This House recommends to Government of India that the Delhi Rent Act as assented to by the President of India be implemented in the Capital forthwith".

- 4. Shri Suraj Pd. Paliwal to move the following resolution:
 "This House recommends that the compensation amount of land to be acquired hereafter be fixed at a minimum of Rs.50 lacs per acre".
- 5. Shri Nand Kishore Garg to move the following resolution:
 "This House demands that with a view to curb the growing menace of dowry, the registration of marriages be made compulsory in Delhi".

6. SHORT DURATION DISCUSSION

Shri Deep Chand Bandhu: Shri Jai Kishan:

to raise discussion on large scale demolition of Jhuggi Jhonpris and houses in various parts of Delhi by D.D.A. and other civic authorities.

> P.N.GUPTA SECRETARY

(Note: As per decision taken in the House on 9.1.97, the short duration discussion shall commence at 5.00 P.M. as per rule 23 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Legislative Assembly of the N.C.T. of Delhi).